

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/967

दिनांक : 24/11/18

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
..... राजस्थान

**विषय :** महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 09.02.2018 को आयोजित किए जाने बाबत।  
**संदर्भ :** निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापित क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2017-18/2017/453 दिनांक : 19.06.2017 एवं 756 दिनांक 26.10.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में लेख है कि दिनांक 10.11.2017 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु आयोजित की गई प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग द्वारा प्रवेश देने हेतु दिनांक 09.02.2018 निर्धारित की गई है।

अतः लेख है कि आरक्षण की श्रेणीवार आपके यहां प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार द्वितीय काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करें। जिसके लिए कम से कम 5 दिवस पूर्व रजिस्टर्ड काल लेटर्स जारी कर दिया जाना सुनिश्चित करें साथ ही अगर अभ्यर्थियों के मोबाईल न0 उपलब्ध हो तो उन्हें एसएमएस के जरिये भी सूचित किया जावे तथा आरक्षण की श्रेणीवार किस किस श्रेणी की कितनी कितनी रिक्त सीटों के लिए कितने कितने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु 10.11.2017 को बुलाया गया है की सूचना दिनांक 05.02.2018 तक फैक्स न. 0141-2222683 व ई मेल आई-डी [jd55training@gmail.com](mailto:jd55training@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

द्वितीय काउंसलिंग के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत (कट ऑफ मार्क्स) का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे तथा बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा जिला कलेक्टर, संयुक्त निदेशक जोन तथा जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी उपस्थित होवे जो प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित रही हो तो उसे भी उसके वरियतानुसार द्वितीय काउंसलिंग में अवसर दिया जावे। चयन समिति पूर्व की भांति ही रहेगी जिसके लिए जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधि का आदेश जारी करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। साथ ही निम्न बिन्दुओं की पूर्णतः पालना की जावे :-

1. कार्मिक (A-Gr-II) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/2017 दिनांक 21.12.2017 की अक्षरशः पालना की जावे। साथ ही उक्त नोटिफिकेशन प्रथम काउंसलिंग में चयनित/आवंटित प्रशिक्षणार्थियों पर लागू नहीं होगा। केवल मात्र द्वितीय काउंसलिंग में ही लागू होगा।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग का एक ही समय (प्रातः 09:30 से दोपहर 2:00 बजे तक) निर्धारित रहेगा।
3. प्रथम काउंसलिंग में जिस कट ऑफ मार्क्स तक की अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलवाया गया है। उससे अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थी के आ जाने पर उसे काउंसलिंग में शामिल किया जाना है।
  - i. किसी वजह से प्रथम काउंसलिंग पश्चात् निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण ज्वाइन नहीं करने वाली अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाना है।
  - ii. प्रथम काउंसलिंग में कतिपय अन्य कारणों यथा शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र आदि के अभाव में जिन अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में उक्त दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त शामिल किया जाना है।

शेष निर्देश/विवरण संदर्भित पत्र में उल्लेख अनुसार ही रहेगा।

संलग्न : पूर्व में जारी दिशा-निर्देश की प्रति।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0, जयपुर

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला रेजगार अधिकारी ।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई-मेल करने की व्यवस्था करावें।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आशय का प्रेस नोट जारी करवाने का श्रम करावें।
10. कार्यालय प्रति।

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ,  
राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/ 456

दिनांक : 26/10/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/  
बीकानेर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/रतनगढ़/धौलपुर/  
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/  
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/  
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/  
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ़/बारां/  
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ़ (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु दिनांक 10.11.2017 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2017-18 में चयन के लिए 10.11.2017 को काउंसलिंग की जानी है जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. चयन विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशिक्षण/म.स्वा.का./2017-18/2017/453 दिनांक 19.06.2017 में उल्लेखित योग्यता एवं शर्तों के अनुरूप ही किया जावे।
2. चयन पूर्णतया प्राप्तियों के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिले में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2016 के अनुसार आरक्षण देते हुए टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जा सके अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
4. आरक्षित अभ्यर्थियों को चयन में विज्ञप्ति में दर्शायी गयी सीटों के अनुरूप ही अजा0/अजजा0/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छुट दी जावे।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ 11 (125)/ओबीसी/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग अधिकृत सूची में धौलपुर एवं भरतपुर जिले की जाट जाति वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया है। अतः भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति वर्ग को ओबीसी में सम्मिलित किया जावे।
6. राज्य सरकार के नियमानुसार विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अलग से एसबीसी का कोई आरक्षण देय नहीं होगा।
7. समान प्रतिशत के अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
8. निःशक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग) विकलांग श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
9. शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सैकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिए उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्गेस बनाम फिरदौस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के क्रम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

10. प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यर्थी चयन हेतु लिये जाने उसके 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लैटर पर यह आवश्यक अंकित कर दे कि "यह प्रवेश का पत्र नहीं है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा।" कॉल लैटर अभ्यर्थियों को रजि० डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 10.11.2017 को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे।
11. काउंसलिंग करने हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है :-
  - i. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष।
  - ii. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य।
  - iii. संबंधित नर्सिंग अधीक्षक/ प्रभारी, म.स्वा.का. प्रशिक्षण केन्द्र सदस्य।
  - iv. संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि सदस्य।

इनमें से यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया जावे।

12. काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी का प्रशिक्षण हेतु किया गया चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को चयन पत्र आदि दिये जावे एवं उसी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त 5 गुणा अभ्यर्थियों की सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट के अगले दिन गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्र वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावे, अन्यथा इसको आदेश की अवहेलना माना जावेगा।

13. काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ है, वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रही सीटों पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही देवे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्र वाहक के साथ अगले कार्यदिवस को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

चयन का न्यूनतम प्राप्ति प्रतिशत	सामा.	ओबीसी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	टीएसपी (एसटी)	सहरिया	टीएसपी (एससी)	(कैजित आधार) होरिजेन्टल बेसिस पर						
								आ०बा० कार्य०	मिलट्री/ पैरामिलट्री/ पुलिस मृतक कर्मियों की विधवाओं/	अन्य श्रेणी की विधवाओं एव तलाकशुदा अभ्यर्थी	विकलांग ओएल (एक पैर 40 प्रतिशत)	श्रेणी	विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
चयन का न्यूनतम प्राप्ति प्रतिशत														
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या														
रिक्त सीटों की संख्या														
अन्य विवरण														

14. प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्योइनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे और इनका सत्यापन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र/अंकतालिका/अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो अभ्यर्थी को अपनी स्थिती स्पष्ट करने का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण असंतोष पाये जाने पर उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करायी जावे और प्रशिक्षण से पृथक करके निदेशालय को सूचित किया जावे।
15. काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रादि शैक्षणिक/जन्मतिथी/जाति प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे।

16. काउंसलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणीवार निर्धारित सीटों के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया जाना है। जिसके लिए उन्हें दिनांक 03.11.2017 तक आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड पत्र जारी किये जावें तथा काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) तथा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की जावे। इसी के साथ बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।
17. किसी भी तरह की अनियमितता के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
18. संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधी का आदेश करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।
19. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाइनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्त की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
20. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग प्रातः 9:30 बजे से मध्याह्न 2:00 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। अतः समय का ध्यान रखना सुनिश्चित करे साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ है उनके दस्तावेज काउंसलिंग समय के (मध्याह्न 2:00 बजे) पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही की जावे।

20  
(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 26/10/17

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/ 756  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई-मेल करने का श्रम करे।
11. कार्यालय प्रति।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF PERSONNEL.  
(A-Gr. II)

No. F. 7(1)DOP/A-II/2017

Jaipur, dated: **21 DEC 2017**

NOTIFICATION

Whereas, the Hon'ble Supreme Court has, in its order dated 13.11.2017 passed in SLP (C) No. 30936/2017, restrained the State Government from taking any action or decision on the administrative side or in any manner conferring the benefit of reservation, which will have the result of crossing the total reservation beyond 50% and 49% reservation has already been provided to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes under the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 3 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 (Act No. 38 of 2017), the State Government hereby, against the aforesaid background, notify that reservation for More Backward Classes in respect of the annual permitted strength for admission into the prescribed educational institutions shall be 1% of the annual permitted strength of admission.

By Order of the Governor

*aj anj*  
Secretary to the Government

63/2017